

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या वि० प्रा० (1) न<sup>1</sup>-29/06 (पार्ट-1)/ 1444 दिनांक- 02/7/2015

एतद द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक 1431 दिनांक 01.07.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 02/2015 के आधार पर एवं आयोग के पत्रांक 22 दिनांक 04.06.2015 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू० 37400-67000, एजीपी रू० 10000 विशेष भत्ता रू० 2000 एवं समय-समय पर अनुमान्य भत्ता के अधीन प्राचार्य के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	मेधा क्रमांक	पत्राचार पता	गृह जिला	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. बरूण कुमार राय	02	C/o- डॉ. महेश प्रसाद राय, नीलकण्ठ भवन, सिटी मार्ग, गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842004	मुजफ्फरपुर	01
2	डॉ. अनिल कुमार सिंह	04	फ्लैट नं० 204, तालुका आपर्टमेंट, बुद्धा कॉलोनी, पटना- 800001	पूर्वी चम्पारण	01
3	डॉ. कुमारी अणिमा	05	C/o- वी. सी. गुप्ता, रोड नं० 3, राजीव नगर, पटना- 800024	पटना	05
4	डॉ. चन्द्रशेखर सिंह	06	24 A/60, आफिर्सस फ्लैट, हड़ताली मोड़ के नजदीक, बेली रोड, पटना- 800001	वैशाली	05
5	डॉ. फजले सरवर	12	प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार, ग्राम- भेड़िया रहीका, पो०- बी. एम. पी.-7, कटिहार, बिहार- 854106	गोपालगंज	04


- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उपर वर्णित तालिका के क्रम संख्या 1 से 4 तक के अभ्यर्थी सामान्य कोटि (01) तथा क्रम संख्या 5 के अभ्यर्थी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि (04) में अनुशंसित है।
- बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत उपरोक्त सभी नियुक्त अभ्यर्थी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र योगदान के साथ समर्पित करेंगे।
- नियुक्त अभ्यर्थी अपने पूर्व पद से प्रभार परित्याग कर मुख्यालय/विभाग में एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान अवश्य समर्पित करेंगे। इनके पदस्थापन पर अलग से विचार किया जायेगा।
- नियुक्त प्राचार्यों की वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग के उक्त अनुशंसा के मेधा क्रम के अनुसार निर्धारित होगी।
- नियुक्त अभ्यर्थियों की जन्म-तिथि, शिक्षण-कार्य का अनुभव, शैक्षणिक अर्हता आदि तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में किसी भी प्रकार का यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इनकी नियुक्ति बिना किसी कारण पृच्छा की समाप्त कर दी जायेगी और इस संबंध में नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1431 दिनांक 01.07.2015 इस हद तक संशोधित समझा जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/7/15  
सरकार के अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना


ज्ञापांक- वि० प्रा० (1) न<sup>1</sup>-29/06 (पार्ट-1)/ 1444 /पटना, दिनांक- 02/7/2015  
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणायलय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त  
विभाग को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित) प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक- वि० प्रा० (1) न<sup>1</sup>-29/06 (पार्ट-1)/ 1444 /पटना, दिनांक- 02/7/2015  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक- वि० प्रा० (1) न<sup>1</sup>-29/06 (पार्ट-1)/ 1444 /पटना, दिनांक- 02/7/2015  
प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल  
सचिवालय एवं समन्वय विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/निदेशक, विज्ञान एवं  
प्रावैधिकी विभाग/ सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्सद, बिहार, पटना/ सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,  
राजकीय पोलिटेकनिक /राजकीय महिला पोलिटेकनिक/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/विभाग  
के सभी पदाधिकारी/बिहार के सभी कोषागार पदाधिकारी/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान  
सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई. टी. मैनेजर को (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु)  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना